कार्यालय– जिला स्वास्थ्य समिति, सारण।

अल्पकालीन निविदा

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 740(12) दिनांक 05.11.2014 के आलोक में सारण जिला अंतर्गत सदर अस्पताल/ अनुमंडल अस्पताल/प्राथमिक स्वा0 केन्द्रों/ रेफरल अस्पतालों/ अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्रों/ स्वा0 उपकेन्द्र आदि के लिए दवा के क्रय हेतु आपूर्तिकर्त्ता फर्मो से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, निर्माता/अधिकृत विक्रेता दिनांक 25/02/2016 तक निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट से निम्नलिखित शर्तो के अधीन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निविदा समर्पित कर सकते है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। प्राप्त निविदा दिनांक 26/02/2016 को 11 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे खोला जायेगा। दवा की सूची कार्य दिवस के दिन अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं संबंधित सूची जिला स्वा0 समिति, सारण, छपरा के वेबसाईट www.dhssaran.org पर उपलब्ध है।

01. निविदा दो प्रकार की होगी 01. तकनीकी भाग, 02. वित्तीय भाग। दोनो प्रकार की निविदा अलग–अलग लिफाफे में रखकर एक बड़े लिफाफे में भेजनी है। वित्तीय भाग मे सिर्फ मुल्य तालिका होगी शेष सभी कागजात एवं जमानत राशि तकनीकी भाग के साथ रहेगी। तकनीकी निविदा भाग सभी तरह से सही पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा भाग खोली जायेगी।
02. निविदा में दिये जाने वाले सभी दस्तावेजो पर पृष्ठांकन होना चाहिये।
03. निविदादाता का बिहार राज्य वाणिज्यकर निबंधन तथा अधतन कर भुगतान संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहियें। दवा आदि निर्माण करने संबंधित अनुज्ञप्ति पत्र निर्माण संबंधित विस्तृत प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
04. आपूर्ति की जानेवाली वस्तुओं की गुणवता/संबंधित राष्ट्रीय अर्न्तराष्ट्रीय मानक उपलब्ध हो तो उन स्थापित मानकों संबंधित कागजात/विवरण भी दाखिल करें।
05. स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत औषधि नियंत्रण प्रशासन इकाई के द्वारा जारी GMP Certificate निविदा के साथ संलग्न होना आवश्यक है।
06. Approved Product List औषधि नियंत्रण प्रशासन इकाई के द्वारा जारी होनी चाहिये।
07. WHO/GMP/ISO 9001 सिरिज एवं उच्च मेक वाली कम्पनी/फर्मो को प्राथमिकता दी जायेगी। लुज पैक वाले दवा का निविदा मान्य नही होगा।
08. जमानत की राशि एक लाख रू0 का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण जिला स्वास्थ्य समिति, सारण के नाम से निविदा के साथ संलग्न रहना अनिवार्य है।
09. निविदा मे औषधि का टैक्स रहित एवं टैक्स सहित दर Composition/Specification तथा मेक सहित उल्लेख करना होगा।
10. आपूर्ति मे टूट विलंब के लिये किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा। आदेशित दवाओं की अवसान तिथि से 18 माह की होनी चाहिए।
11. आपूर्ति किये गये दवा की प्रत्येक बैच की गुणवत्ता जॉच का प्रमाण–पत्र देना होगा। इसके साथ ही जिला स्तर से गुणवत्ता जॉच हेतु 02 प्रतिशत राशि की कटौती भी की जायेगी। किसी भी समय निम्न स्तर की पाये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
12. निविदा संबंधित किसी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र छपरा जिला होगा। निविदा संबंधित आवश्यक संशोधन अथवा निविदा पूर्णत या अंशत रद्द करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
13. निविदा प्राप्ति के उपरांत निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता स्वयः या किसी प्रतिनिधि प्राधिकृत कर उपस्थित रख सकते है। निविदा उनकी अनुपस्थिति मे भी खोली जा सकती है।
14. सरकारी प्रतिष्ठानों को भी वर्णित शर्त्तो के अधीन निविदा देना होगा।
15. औषधी एवं अन्य समाग्रियों का मुल्य औषधी नियमावली के तहत अस्पताल दर पर अंकित करना होगा। इसके लिए निविदाओं को Ll के अनुमोदित दर से संबंधित Drug Price Control Order द्वारा निर्धारित Form 5 भरकर जमा करना आवश्यक है। Form V जमा करने पर ही आदेश निर्गत किया जायेगा।
16. निविदा टंकित/कम्प्यूटराईज्ड/प्रिन्टेड होना आवश्यक है। हस्त लिखित मान्य नही होगा। दवाओं का दर भंडार तक पहुँचा कर देना होगा। अलग से फारवार्डिग, पैकिंग, इन्सोरेन्स तथा कोई भाड़ा आदि देय नही होगा। समान का दर कम्पनी दर/प्रिंट दर से अधिक नही होना चाहिए।
17. बिहार लधु उधोग से निबंधित ईकाई का स्थायी निबंधन एवं अधतन कार्यरत होने का प्रमाण–पत्र उधोग विभाग से प्राप्त कर देना होगा। जिसे जमानत राशि से 20 प्रतिशत ही करना होगा।
18. स्वीकृत निविदादाता के द्वारा अगले एक वर्ष तक L1 दर पर आपूर्ति करनी होगी।

19. सरकार के निदेशानुसार सेल्स टैक्स की कटौती आपूर्तिकर्ता के विपत्र से की जायेगी या आपूर्तिकर्ता को वाणिज्यकर से प्रपत्र सी0–3 देना होगा। 136

20. निविदादाता फर्म मालिक/पार्टनर का पूर्ण पता/फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर, आयकर पैन कार्ड एवं स्वःअभिप्रमाणित फोटोग्राफ सहित निविदा के साथ संलग्न रहना चाहिए। निविदादाता को भारतीय होना चाहिए। पागल, नाबालिक या दिवालिया व्यक्ति एवं विवादित फर्म निविदा देने हेतु योग्य नही माने जायेगें।

21. ड्रग लाईसेन्स की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिए।, औषधी निर्माता, आपूर्तिकर्ता दोनों फर्मो का औषधि अनुज्ञप्ति वर्ष 2015–16 तक का नवीनीकरण होना अनिवार्य है।

22. बिहार राज्य के बाहर अवस्थित निर्माताकर्ता/आपूर्तिकर्ता फर्मो का बिहार राज्य के अंदर निबंधित कार्यालय/आपूर्तिकर्ता/एजेन्ट जो बिहार राज्य के अंदर निबंधित निबंधित कार्यालय/आपूर्तिकर्ता/एजेन्ट जो बिहार बिक्री कर से निबंधित होने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी।

23. सभी दवाईयों के स्ट्रीप, भायल या फायल पर बिहार सरकार आपूर्ति बिक्री के लिए नही अंकित होना अनिवार्य होगा।

24. स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत औषधि नियंत्रण प्रशासन ईकाइ के द्वारा जारी Market Standing Certificate होनी चाहिये।

25. प्रशासन औषधि नियंत्रण द्वारा जारी No Conviction Certificate निविदा के साथ संलग्न होना आवश्यक है।

26. काली सूची मे दर्ज नही होने का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

27. आपूर्तिकर्ता फर्मो को निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का प्राधिकार पत्र अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्माता फर्म द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म के पक्ष मे निर्गत होना चाहियें। अन्यथा प्राधिकार पत्र मान्य नही होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा की जाने वाले सभी कागजात स्वः अभिप्रमाणित होना चाहियें।

28. दवा का दर बाजार से कम होना चाहीयें।

सिविल सर्जन सह सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, सारण।